ब्यान

मैं सुरेश ठाकुर पुत्र स्व. श्री इन्द्रकांत ठाकुर निवासी मकान नं. 14060 गली नं. 2 राम नगर टिब्बा रोड का रहने वाला हूँ!

FIR No. 0343/2017 u/s 379B(2), 120B 506 थाना बस्ती जोधेवाल में दर्ज हुआ है जिस कारण 20/8/2017 से मैं आप के जेल में बन्द हूं! मुझ पर झूठा FIR दर्ज की गई है। तो मुझे जेल में आने के बाद पता चला है कि मैंने और लड़की ने जोगिन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह (वासी 14047 गली नं. 2 राम नगर टिब्बा रोड) से 2000रु की लूट की है। इस मामले में हमारा ब्यान इस प्रकार है।

दिनांक 19/8/2017 सुबह समय करीब 5 या 5:30 बजे लगभग किसी ने जोर-जोर से मेरे घर का दरवाजा खटखटाया! जब घर वालों ने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि स्वर्ण सिंह कुर्ता पजामा पहने हुये मेरे कमरे में आ गया। मेरी मम्मी और मेरी पत्नी उन से पूछते रहे कि आप कौन हो तो उसने कहा तुम्हारे लड़के को सब पता है! और स्वर्ण सिंह ने मेरी मम्मी को गालियां देते हुये धक्का देते हुये ~~मुझे~~ मेरा कालर ~~पकड़ा~~ पकड़ कर घसीटते हुये स्वर्ण सिंह और करमजीत सिंह गाड़ी में ला कर बैठा दिया, मैंने बाहर देखा तो मुझे पकड़ने के लिए 7 पुलिस वाले आये थे जिन में सिर्फ 2 पुलिस वाले वर्दी में थे बाकि बिना वर्दी के थे। उसके बाद गाड़ी वापिस घुमाते हुये हम दोनों जोगिन्द्र सिंह के घर के बाहर गाड़ी रोकी और जोगिन्द्र सिंह से बात-चीत की और उसके 5 मिनट बाद हमें बस्ती जोधेवाल थाने ले जाया गया। जहां हमें छुपा कर बैठा दिया गया ताकि हमें कोई देख न सके! जब हमने SHO और कपिल शर्मा जी को कहा कि हमारे घर वालों को सूचना दे दीजिये कि हमें थाने लाया गया है, तो उन्होने साफ मना कर दिया! और मुझे बोला गया की तुम्हारा ब्यान लिख कर अभी छोड़ देंगे जोगिन्द्र सिंह को आने दो! जब जोगिन्द्र सिंह आया तो कपिल शर्मा और हरप्रीत सिंह के साथ इनकी मीटिंग चलती रही। कुछ देर बाद मैं बाथरूम करने गया तो ऊपर छत पर कपिल शर्मा और जोगिन्द्र सिंह बात कर रहे थे कि इन दोनों पर कौन सा केस दर्ज किया जाए! जिस से मुझे पता चल गया कि अभी हम पर FIR दर्ज नहीं की गई है!

→ P.TO

और बिना FIR किये हमें घर से उठा अपहरण किया गया। और हम दोनों से बहुत से सादे और कुछ भारत जैसे पेपरों पर साईन करवाये पर हमें ये बताया नहीं गया कि हमने किया क्या है! और न ही हमें कुछ पढ़ने दिया गया! करीब 3:00 बजे 3 पुलिस वाले गाड़ी न: PB08 BZ 4512 में CIA Staff लेकर आये जहाँ हमने अपने घर वालों को बाहर खड़े देखा जिन्होंने मुझे और पुलिस वालों से पूछने की कोशिश की कि इन दोनों का क्या कसूर है और कौन सा FIR दर्ज किया है, पर पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया! और अन्दर ले जाकर हम दोनों से फिर बहुत से पेपरों पर साईन करवाये गये और फिर हमें चप्पलों से और लाठियों से बहुत मारा जिस कारण हम दोनों के पैर कद्दू की तरह सूज कर बड़े हो गये थे और पैर देखने में ऐसा लग रहा था कि ये पैर हाथी का है इतना मोटा सूज कर हो गया था। जिस कारण हम चक्कर खा कर गिर रहे थे और अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। ये सारा तमाशा हमारा I.O और वहाँ मौजूद सभी पुलिस अधिकारी देख रहे थे! और बोल रहे थे कि अभी भी तुम अगर पुलिस की शिकायत करने से पीछे नहीं हटे तो तुम्हें जान से मरवा देंगे या मार देंगे। उसके बाद हम दोनों को दूसरी गाड़ी में बैठा कर थाने ले जाया गया। करीब रात 11:00 बजे हमारे घर वाले मिलने थाने आये और अगले दिन 20/8/2017 दिन रविवार को हम दोनों को समय करीब 4 बजे कोर्ट में बिना मैडीकल करवाये हमें पेश किया गया! जहाँ पर जज साहिब ने हमारे I.O से पूछा कि इन दोनों को कितने बजे गिरफ्तार किया जिस पर हमारे I.O ने जवाब दिया कि सुबह 6:30 बजे गिरफ्तार किया तो फिर जज साहिब ने पूछा कि इनके घर वालों को कब गिरफ्तारी के बारे में बताया। तब हमारे I.O ने कहा कि 5:30 बजे इनके घर वालों को गिरफ्तारी के बारे में बता दिया था! जिसे सुन कर जज साहिब ने हमारे I.O को फटकार लगाई कि तुमने 6:30 बजे गिरफ्तार किया और 5:30 बजे पहले कैसे इनके घर वालों को बता दिया, मतलब गिरफ्तारी से पहले कैसे इनके घर वालों को बता दिया!

→ P.T.O →

उसके बाद पुलिस वालो ने हमें कोर्ट रूम से बाहर कर दिया! बाहर हमारे घरवालो ने जब हमारी हालात देखी तो वो लोग बहुत घबरा गये और पुलिस वालों और हम से पूछा कि आप दोनों का मैडीकल हुआ की नही तो हमने कहा कि अभी हमारा मैडीकल नही हुआ है। उसके बाद मैंने अपने हाथों से मैडीकल करवाने की प्रार्थना पत्र लिख कर जज साहिब को देने लगा पर जज साहिब अपनी कुर्सी से उठ कर चले गये! उसके बाद पुलिस हमें नीचे लेकर आई और बहुत सारे सादे पेपरों और कुछ लिखे हुये पेपरों पर साईन करवाया और हमें कहा कि ये पेपर हमने जेल में जमा करवाने हैं इसलिए तुमसे साईन करवा रहे हैं। उसके बाद हमें सिविल अस्पताल मैडीकल के लिये ले जाया गया और रास्ते में अपना दबाव बनाते रहे कि वहां कुछ मत बोलना पर मैंने वहां पर बोलने की कोशिश की पर पुलिस वाले ने हमें चुप करवाते हुये डाक्टर साहिब को बोला की सब ठीक है ये दोनों पूरी तरह से फीट हैं, उसके बाद जेल में भी हम बता रहे थे पर हमारा I.O साथ होने के कारण जो आदमी निशान चैक करता है उसे कुछ भी लिखने नही दिया क्योंकि वहां पर डाक्टर साहिब नहीं थे जब हम अन्दर आये तो जेल के पुलिस वाले यही बोल रहे थे कि तुम दोनों ने क्या किया जो इतना मारा हैं, पर हमें खुद नहीं पता था कि हमने कौन सा गुनाह किया है। उसके बाद हमने बुलाने वाले दिन भी डाक्टर साहिब को बताया पर कोई सुनवाई नहीं हुई उसके बाद हमने अपना मैडीकल कार्ड बनवाया जिसका नं. 10099 है जिस पर डाक्टर साहिब ने दवाईया लिखी और वही दवाई खाते रहे। उसके बाद मुझे 26/9/2017 को मैडीकल दोबारा से चैकअप के लिये बुलाया गया। जहां पर सुखविंदर सिंह धिमान जी ने मुझे दवाई दिलवाई और वो वहां से चले गये। जिसके बाद डाक्टर साहिब ने मुझे बोले कि सिविल अस्पताल वाले ने और जेल के मैडीकल रिपोर्ट में तुम्हें फीट दिखाया गया है तो अब मैं तुम्हें अनफिट कैसे लिख दूं। पर फिर भी उन्होंने मेरे पैर में लगी चोट का निशान देखा और गर्म पट्टी साथ में दवाईया खाने को दी। पर उन्होंने मैडीकल रिपोर्ट क्या बना कर दी वो मुझे पता नहीं। ये ब्यान मैं अपने होश हवास में दे रहा हूं!

मुकेश ठाकुर 2/8/2017

Mukesh Thakur

बयान

मैं लक्की उर्फ जयहिन्द पुत्र हीरालाल निवासी मकान नं: 14119 गली नं: 2 राज नगर टिब्बा रोड का रहने वाला हूँ मुझ पर FIR No- 343/2017 u/s 379B(2), 120B, 506 19/8/2017 को दर्ज हुआ थाना बस्ती जोधेवाल में। इस मामले में मेरा बयान इस प्रकार है।

मैं दिनांक 19/8/2017 को सुबह लगभग 5:00 बजे उठकर अपने छत पर गया तकरीबन 5 या 10 मिनट बाद पुलिस मेरे छत पर आई और मुझे बिना कुछ बताये अपनी गाड़ी में बैठा कर मुकेश के घर ले गई और वहां से मुकेश को भी उठा लिया और मेरे साथ गाड़ी में बैठा कर थाना बस्ती जोधेवाल ले गये। वहां से हमें करीब 3:00 बजे CIA Staff में गाड़ी नं: PB08BZ4512 बैठा कर 3 पुलिस वाले हमें लेकर गये। CIA Staff के बाहर हमारे अपने लोग पहले से ही मौजूद थे जो उन लोगों ने हमें पुलिस की अन्दर ले जाते हुये देखा। CIA Staff आने से पहले पुलिस वालों ने हम दोनों से बहुत से सादे कागजों पर और कुछ फार्म जैसे पेपर थे उन भी साईन लिया पर हमें कुछ पढ़ने भी नहीं दिया और न ही हमारा कसूर बताया जा रहा था कि हमें किया क्या है। CIA दफ्तर में भी हम दोनों से साईन करवाये और उसके बाद हमें चप्पलों और लाठियों से बहुत मारा और ये सारा तमाशा हमारा I.O देख रहा था हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा था सिर्फ हमें मारा जा रहा था हमें पुलिस वालों ने इतना मारा सिर में की हम दोनों चक्कर खा कर गिर रहे थे और हम दोनों का पैर इतना सूज गया था कि न हम दोनों चप्पल पहन पा रहे थे और न ही चल पा रहे थे। उसके बाद हम दोनों को दूसरी गाड़ी में बैठा कर थाने ले गये करीब रात 11:00 बजे हमारे घर वाले हमें मिलने थाने आये। और अगले दिन करीब 4 बजे हमें बिना मैडिकल करवाये कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद जज साहिब ने हमारे I.O से पूछा की इन दोनों को कितने बजे गिरफ्तार किया तब हमारे I.O ने कहा ~~की~~ कि सुबह 6:30 बजे गिरफ्तार किया। :Continue

PTO

उसके बाद जज साहिबा ने पूछा I.O से कि इनके घर वालो को गिरफ्तारी के बारे में कब बताया! तब हमारे I.O ने बताया कि सुबह 5:30 बजे इनके घर वालों को बताया जिसे सुन कर जज साहिबा ने हमारे I.O कि फटकार लगाई कि तुमने गिरफ्तारी से पहले क्यों इनके घर वालो को बता दिया। उसके बाद पुलिस ने हम दोनो को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया पर हमने अपने मैडिकल करवाने के लिए जिसे करीब 35 या 36 घण्टे हो चुके थे के लिए जज साहिबा को प्रार्थना पत्र लिख कर हम दोनों ने साईन कर के देने लगे पर ~~साहिबा~~ जज साहिबा अपनी कुर्सी से उठ कर चली गई। उसके बाद पुलिस हमें नीचे लेकर आई और चार बहुत से पेपरों पर साईन करवाये उसके बाद हमें सिविल अस्पताल ले जाया गया और हमें रास्ते में ये कहने के लिए दबाव बनाया कि वहाँ डाक्टर से कुछ मत कहना पर मुकेश ने डाक्टर को बताने की कोशिश की तो I.O ने उसे बोलने नहीं दिया पर ~~साथ~~ शायद डाक्टर साहिबा हमारी हालत देख कर समझ गई थी कि इन दोनों को बहुत मारा गया है और पुलिस अपने दबाव के कारण बोलने नहीं दे रही है। उसके बाद हमें जेल लाया गया जहाँ पर गेट के अन्दर आने के बाद हम से पूछा गया कि पुराना निशान दिखाओ तो वहा भी हमने अपना सूजा हुआ पैर दिखाया पर हमारे I.O ने उसे अपने हाथ में ले करने को जब्त कर लिया और हमें अन्दर जाने को कहा और हम दोनों लगड़ाते हुए अन्दर आ गए। जिसे जेल के कैमरे में देखा जा सकता है। अगले दिन मुलाहजे के लिए हमें बुलाया तो हमने वहा भी बताया। पर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बार हम जेल की डिस्पेंसरी से दवाई लेकर खाते रहे और गर्म पानी नमक से सेकते रहे फिर हमें थोड़ा आराम मिलना शुरू हो गया पर मेरा पैर टेढ़ा हो गया उसके बाद हमने अपना मैडिकल कार्ड बनवाया। और डाक्टर साहिबा से दवाई लेते रहे पर ठीक नहीं हुआ। अभी भी मेरे पैर में दर्द होता है और कभी-कभी बहुत जोर से दर्द होने लगता है।

यह ब्यान मैं अपने होशो हवास में दे रहा हूँ

Gucku @ Jaybind
21.09.2017
7355117270